निबंधन संख्या– S000589/2017–18

बिहार वित्त सेवा संघ

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पत्रांक ....

दिनांक ....

संरक्षक मंडल
श्री सच्चिदानंद झा
श्री संजय कुमार मावंडिया

अध्यक्ष
श्री नन्द किशोर सिंह
मो0–9431184941

उपाध्यक्ष
श्री नरेश कुमार
मो0–7903577040

महासचिव
श्री रणजीत कुमार
मो–7532977589

कोषाध्यक्ष
श्री कृष्णा मोहन सिंह
मो0–7542010088

संयुक्त सचिव
श्री आबिद सुबहानी
श्रीमति कुमारी गुंजन भारती
श्रीमति पुनीता कुमारी
सुश्री विनीता कुमारी
श्री आकाश आनंद

केन्द्रीय कार्यकारिणी
सभी प्रमंडलीय अपर आयुक्त (प्र0)
श्री किशोर कुमार सिन्हा
श्री विजय कुमार आजाद
श्री सुरेन्द्र प्रसाद
श्री दीपक कानन
श्री प्रशांत कुमार झा
श्री नन्द किशोर राज
श्री संजीव कुमार
श्री जाकिर अली अंसारी
श्री कार्तिक कुमार सिंह
श्री अनिल कुमार सिंह विधार्थी
श्री राजीव रंजन
श्री इरसाद आरिफ
श्री विवेक कुमार
श्री विशाल कुमार
सुश्री शिप्रा झा
श्री विकास कुमार सिंह
श्रीमति विनीता वत्स
श्री गौरव
श्री हरेराम
सुश्री आस्था गार्गी
सुश्री सौम्या

सेवा में,

राज्य–कर आयुक्त सह सचिव,

बिहार,पटना।

विषयः– बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों की समस्याओं एवं उनके माँग के संबंध में ज्ञापन।

संदर्भः– दिनांक 20.01.2022 को दैनिक समाचार पत्र में 32 अपर आयुक्त के पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं प्रसंगाधीन संदर्भ में पत्रांक 20 दिनांक 24.01.2022 के माध्यम से भवदीया को समर्पित संघ का ज्ञापन।

05/2/22

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में विनम्रतापूर्वक संघ का निवेदन है कि:–

(1) पत्रांक 20 दिनांक 24.01.2022 के माध्यम से संघ द्वारा भवदीया से अनुरोध किया गया था कि लंबे समय से विभाग में प्रोन्नति लंबित रहने के कारण विभागीय पदाधिकारियों में व्याप्त हताशा एवं निराशा को देखते हुए, प्रोन्नति योग्य पदाधिकारियों को अपने ही वेतमनमान में उच्चतर पद पर पदस्थापित किया जाये। साथ ही अनुरोध किया गया था कि सेवानिवृत पदाधिकारियों को अपर आयुक्त के पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजित नहीं किया जाये।

(2) सरकार के संकल्प ज्ञापांक 7446 दिनांक 23.07.2021 एवं संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया गया था कि अपर आयुक्त का पद प्रोन्नति की श्रृंखला वाला पद है, अतएव प्रसंगाधीन परिस्थिति में संविदा/अनुबंध पर नियोजन नहीं किया जाये।

(3) प्रसंगाधीन ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया था कि विभाग द्वारा प्रशासित अतिनियमों में प्रदत शक्तियों का उपयोग, अनुबंध/संविदा पर नियोजित पदाधिकारी द्वारा किये जाने पर संशय है। साथ ही संवदि/अनुबंध पर नियोजित पदाधिकारी द्वारा अधीनस्थ सेवारत पदाधिकारियों के चारित्री (P.A.R.) लिखने पर संशय है।

(4) उक्त ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रोन्नति नहीं होने की स्थिति में इस विभाग में, राज्य सरकार के अन्य विभागों में अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद पर पदस्थापन होने के दृष्टांत है, माह जनवरी 2022 में भी अन्य विभागों में इस प्रकार के पदस्थापन के दृष्टांत रहे है। इस विभाग में भी कतिपय अंचलों में राज्य कर

उपायुक्त कोटि के पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में राज्य कर संयुक्त आयुक्त के पद पर पदस्थापित हैं।

(5) यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह बनाम एल.एन.गुप्ता 52P(C) 3062/2011 एवं अन्य संबद्ध मामले में प्रोन्नति से संबंधित बिंदुओं पर दिनांक 28.01.2022 को न्यायादेश पारित किया जा चुका है एवं इससे संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऐसे में संविदा पर नियोजन, सेवारत पदाधिकारियों के नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संघ का पुनः सादर अनुरोध है कि संविदा/अनुबंध पर नियोजन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाये एवं अविलंब नियमित प्रोन्नति दी जाये, जबतक प्रोन्नति नहीं होती है तब तक अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद पर पदस्थापित किया जाये, ताकि सेवारत पदाधिकारियों को नैसर्गिक न्याय मिल सके एवं उनका मनोबल बना रहे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(नन्द किशोर सिंह)
अध्यक्ष
बिहार वित्त सेवा संघ

ज्ञापांक 22 दिनांक 04/02/22

प्रतिलिपि– माननीय उप मुख्य (वाणिज्य कर) मंत्री के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02
अध्यक्ष

बिहार वित्त सेवा संघ
सं.-S000589/2017 IR
वीरचन्द पटेल पथ, पटना